न्यामूर्ति नवाब सिंह के समक्ष
तरसेम सिंह और अन्य-याचिकाकर्ता
बनाम
विनोद कुमार और अन्य,-उत्तरदाता
सिविल पुन: अवलोकन 2005 का सं. 4753
4 जनवरी, 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद-227-न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870-द्वितीय अनुसूची-अनुच्छेद-17 (iii)-घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वादी द्वारा दायर मुकदमा-इस आशय की घोषणा की मांग की गई कि उनके पिता द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख अमान्य था-सिविल कोर्ट ने उन्हें मूल्यानुसार अदालत शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया-आदेश को पुनःअवलोकन के माध्यम से चुनौती दि-मामला बड़ी पीठ को संदर्भित-खण्ड पीठ ने सिद्धांत निर्धारित किया- पुनः अवलोकन की अनुमति- अभिनिर्धारित, यदि कोई व्यक्ति जो किसी दस्तावेज़ में पक्षकार नहीं है, इसे रद्द करने की मांग करता है, तो उसे न्यायालय शुल्क अधिनियम, द्वितीय अनुसूची-अनुच्छेद-17 (iii) के अनुसार अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा।

अभिनिर्धारित, सुहरिद सिंह @सरदूल सिंह बनाम रणधीर सिंह और अन्य, ए. आई. आर. 2010 सुप्रीम कोर्ट 2807 में दिए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दारा सिंह बनाम गुरबचन सिंह और अन्य (2009 का सं. 22 पुनःअवलोकन 3 मई, 2010 को निर्णित) मामले में इस कोर्ट की एक खण्ड पीठ द्वारा पारित फैसले पर भरोसा करने के बाद, कोर्ट-फीस एक्ट, 1870 के प्रावधानों पर टिप्पणी करते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया÷

(i) "यदि किसी दस्तावेज़ का निष्पादक किसी विलेख को रद्द करना चाहता है, तो उसे विलेख को रद्द करने की मांग करनी होगी और उक्त बिक्री विलेख में बताए गए मूल्य पर अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ii) लेकिन यदि कोई गैर-निष्पादक विलेख को रद्द करने की मांग करता है, यानी जब वह दस्तावेज का पक्षकार नहीं है, तो उसे यह घोषणा करने की मांग करनी है कि विलेख अमान्य, गैर-कानूनी, अवैध है या यह उस पर बाध्यकारी नहीं है।उस स्थिति में, उसे अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद 17 (iii) के अनुसार निश्चित न्यायालय शुल्क का भुगतान करना होता है।

(iii) लेकिन यदि गैर-निष्पादक कब्जे में नहीं है और वह न केवल यह घोषणा चाहता है कि बिक्री विलेख अमान्य है, बल्कि कब्जे की परिणामी राहत भी चाहता है, तो उसे अधिनियम की धारा 7 (iv) (c) के तहत प्रदान किए गए मूल्य निर्धारण न्यायालय शुल्क का भुगतान करना होगा और अचल संपत्ति के मामले में ऐसा मूल्यांकन अधिनियम की धारा 7 के धारा (v) द्वारा प्रदान किए गए तरीके से गणना की गई संपत्ति के मूल्य से कम नहीं होगा।

(पैरा 3)

आगे, अभिनिर्धारित कि निर्विवाद रूप से, इस मामले में, वादी उन दस्तावेजों के निष्पादक नहीं थे, जिन्हें उन्होंने रद्द करने की मांग की थी, और न ही वे मुकदमा भूमि पर कब्जा करने की मांग कर रहे हैं और इस तरह, उनका मामला ऊपर उद्धृत पैरा संख्या (ii) के तहत आता है।

(पैरा 4)

आगे अभिनिर्धारित कि इसे देखते हुए, वादी-याचिकाकर्ताओं को अदालत शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि अदालत शुल्क अधिनियम, 1870 की दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद 17 (iii) के अनुसार अदालत शुल्क लगाने की आवश्यकता थी।

(पैरा 6)

जय सिंह यादव, अधिवक्ता सचिन मित्तल, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं के लिए

संजीव गुप्ता, अधिवक्ता प्रतिवादी के लिए

न्यामूर्ति नवाब सिंह (मौखिक)

यह वादियों की पुनः अवलोकन याचिका सिविल जज (जूनियर डिवीजन), करनाल द्वारा पारित 18 अगस्त, 2005 के आदेश के खिलाफ दिया गया है, जिसमें वादियों को "तरसेम सिंह और अन्य बनाम विनोद कुमार और अन्य"शीर्षक वाले मुकदमे में अदालत शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें सिविल मुकदमा No.481/87 में 21 दिसंबर, 1987 के फैसले और डिक्री को पारित करने के बाद उनके पिता द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत उन्हें मुकदमा भूमि के कब्जे में मालिक घोषित किया गया था और सिविल कोर्ट, करनाल द्वारा 1990 के सिविल मुकदमा No.813 में पारित 31 जनवरी, 1991 के फैसले और डिक्री को रद्द करने के लिए।

(2) जब इस पुनःअवलोकन को 24 जुलाई, 2009 को न्यायमूर्ति अजय तिवारी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, तो उन्होंने इस न्यायालय द्वारा पहले पारित निर्णयों में कुछ विरोधाभास पाए और मामले को खण्ड पीठ को भेज दिया गया।खण्ड पीठ ने 15 जुलाई, 2011 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया:-

"क्या अपने पिता या किसी तीसरे मुकदमा द्वारा निष्पादित बिक्री-विलेख को चुनौती देने वाले मुकदमे में वादी बिक्री विलेख में दिए गए विक्रय मूल्य अनुसार अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है?"

(3) माननीय उच्चतम न्यायालय के सुहरिद सिंह @सरदूल सिंह बनाम रणधीर सिंह और**अन्य (1)** फैसले पर **और इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय** दारा सिंह बनाम गुरबचन सिंह और अन्य (दिवानी **पुनःअवलोकन स.** 2009

का 22, 3 मई, 2010 को निर्णीत पर भरोसा करते हुए), न्यायालय-शुल्क अधिनियम, 1870 के प्रावधानों पर टिप्पणी निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

"(i) यदि किसी दस्तावेज़ का निष्पादक किसी विलेख को रद्द करना चाहता है, तो उसे विलेख को रद्द करने की मांग करनी होगी और उक्त बिक्री विलेख में बताए गए मूल्य पर अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ii) लेकिन यदि कोई गैर-निष्पादक विलेख को रद्द करने की मांग करता है, यानी जब वह दस्तावेज का पक्षकार नहीं है, तो उसे यह घोषणा करने की मांग करनी है कि विलेख अमान्य, गैर-कानूनी, अवैध है या यह उस पर बाध्यकारी नहीं है।उस स्थिति में, उसे अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद 17 (iii) के अनुसार निश्चित न्यायालय शुल्क का भुगतान करना होता है।

---

(1) ऐ आई आर 2010 एससी 2807

(iii) लेकिन यदि गैर-निष्पादक कब्जे में नहीं है और वह न केवल यह घोषणा चाहता है कि बिक्री विलेख अमान्य है, बल्कि कब्जे की परिणामी राहत भी चाहता है, तो उसे अधिनियम की धारा 7 (iv) (c) के तहत प्रदान किए गए मूल्य निर्धारण न्यायालय शुल्क का भुगतान करना होगा और अचल संपत्ति के मामले में ऐसा मूल्यांकन अधिनियम की धारा 7 के धारा (v) द्वारा प्रदान किए गए तरीके से गणना की गई संपत्ति के मूल्य से कम नहीं होगा।

(4) निर्विवाद रूप से, इस मामले में, वादीगण उन दस्तावेजों के निष्पादक नहीं थे, जिन्हें उन्होंने रद्द करने की मांग की थी, और न ही वे मुकदमा भूमि पर कब्जा करने की मांग कर रहे हैं और इस तरह, उनका मामला ऊपर उद्धृत अनुच्छेद संख्या (ii) के तहत आता है।

(5) प्रतिवादी के वकील द्वारा कानूनी स्थिति को उचित रूप से स्वीकार किया गया है।

(6) इसे देखते हुए, वादी-याचिकाकर्ताओं को मूल्यानुसार अदालत शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि अदालत शुल्क अधिनियम, 1870 की दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद 17 (iii) के अनुसार अदालत शुल्क लगाने की आवश्यकता थी।

(7) ऐसा होने पर, पुनः अवलोकन स्वीकार किया जाता है।चुनौती दिए गए आदेश को ख़ारिज किया जाता है। नतीजतन, वादी को निचली अदालत के निर्देश के अनुसार अदालत शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)